APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 10/CFO-KDR/25 Dated: 21-08-2026

Certified that the CRADLE PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at NIMBUCHAUR, KOTDWARA (address) comprised of 01 (GROUND) basement(s) and 02 (upper floors) owned/ occupied by CRADLE PUBLIC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 21-08-2026 (date of inspection) in the presence of Mrs. RENUKA GOSAIN (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes X (X/ XII) With effect from 15-06-2026 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1.
2.
3.
4.

Issued on ..... (date of issue) at KOTDWARA (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: अग्निशमन अधिकारी
कोटद्वार–पौड़ी गढ़वाल

Name :

Designation : FIRE OFFICER

Name & Address of Department/ Office: FIRE STATION OFFICE KOTDWARA

To
CRADLE PUBLIC SCHOOL
NIMBUCHAUR, KOTDWARA

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to .....

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

ईमेल–cfopwLakfs@gmail.com

पत्रांकः न–10/सीएफओ–KDR/25

दिनांकः जून 15.2026

स्वामी/प्रबन्धक,
Cradle Public School,
Nimbuchaur, Kotdwar,
District-Pauri Garhwal.

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी **Annual Clearance** अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर–39064008 दिनांकः 10.06.2026 जो कि **Uttarakhand Fire And Emergency Services** के वेबसाईट पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन कोटद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांकः 12.06.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांकः 15 जून, 2026 से 14 जून, 2029 (3वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

01. संस्थान के समस्त निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग तथा सीढ़ियां एवं सेटबैक क्षेत्र को सदैव पूर्णतः अवरोधमुक्त रखा जाए।
02.आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
03. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
04. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया के निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।
05. इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
06. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र/Self Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
07. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
08. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है। स्वामी/प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप पालन न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(राजेन्द्र सिंह खत्री)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।